तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिषिल जज
	सीताराम V/s मांगीलाल 178/16
28/7/20	वकुलाम उभय वादीगण का वाद आंशिक स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल किया जाता है। तहसील T/R के वास्ते P/D पालना जारी होकर पत्रावली दिनांक 14/8/20 को पेश हो। [signature] सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल, जिला नागौर
14/8/20	वकुलाम उभय श्रीमान P.O. साहब आज अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 16/9/20 को पेश हो। [signature] सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल, जिला नागौर
16/9/20	वकुलाम उभय तहसीलदार जायल से प्रकरण में P/D की पालना रिपोर्ट जरिये पत्रांक 2647 दि. 8/9/20 के प्राप्त हो गई है। जिसपर वकुलाम को सुना गया। माफिक बंटवारा प्रस्ताव प्रकरण को अन्तिम डिक्री किए जाने का निवेदन वकुलाम द्वारा किया। अतः हालात प्रकरण को माफिक बंटवारा प्रस्ताव P/D रिपोर्ट के अन्तिम डिक्री किया जाता है। मिसल में अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली दर्ज नम्बर से खारिज होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल, जिला नागौर

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद 178/2016
सीताराम वगैरह बनाम मांगीलाल वगैरह

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर
पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

वादीगण – राजस्व वाद संख्या :– 178/2016

1. सीताराम पुत्र स्व. रामचन्द्र
   1/1– किस्तुरी देवी पत्नि सीताराम
   1/2– मुकेश पुत्र स्व. सीताराम
   1/3– देवेन्द कुमार पुत्र सीताराम
   1/4– रेखा पुत्री स्व. सीताराम
2. राजकुमार पुत्र स्व. नत्थुराम
3. सरस्वती पत्नी स्व. नत्थुराम
   समस्त जातियान जाट निवासीगण – लूणसरा तहसील जायल
   जिला–नागौर हाल निवासी सुरतगढ़ जिला गंगानर

बनाम

1. मांगीलाल पुत्र स्व. मोहनराम
2. हेमाराम पुत्र स्व मोहनराम
3. हेमसुख उर्फ हरसुख पुत्र स्व. मोहनराम
4. शैतानराम पुत्र स्व. मोहनराम
5. प्रहलाद पुत्र स्व. मोहनराम
   तमाम जाति जाट निवासीगण लूणसरा तहसील जायल (नागौर)
6. भंवरलाल पुत्र स्व. नत्थुराम
7. शिवकुमार पुत्र स्व. नत्थुराम
8. धर्मेन्द्र पुत्र स्व. नत्थुराम
9. सरिता पुत्री स्व. नत्थुराम
10. पुष्पादेवी पत्नी स्व.रामचन्द्र
    जातियान तमाम जाट निवासीगण लूणसरा तहसील जायल (नागौर)
    हाल निवासीगण–सुरतगढ़ (गंगानगर)
11. सरकार जरिये तहसीलदार जायल

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्कारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

वादीगण की ओर से श्री मुन्नीलाल कड़वासरा एडवोकेट
प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही
प्रतिवादी संख्या 6 से 10 की ओर से श्री अम्बालाल पाराशर
प्रतिवादी संख्या 11 राजपेरोकार उपस्थित।

सहायक कलक्टर * (एस.डी.ओ.) जायल

16/09/2020
सहायक कलक्टर
एस. डी. ओ.) जायल (नागौर

राजस्व वाद 178 / 2016
सीताराम वगैरह बनाम मांगीलाल वगैरह

निर्णय

दिनांक : 16.09.2020

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादपत्र के पैरा संख्या 1 में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 10 की वंशावली दर्शाते हुये जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादीगण ने निवेदन किया कि सभी वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक परिवार के सदस्य है तथा आपस में भाई बंधु है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पुश्तैनी बडेर के खेत खसरा नं. 95 रकबा 6.06 बीघा, खसरा नं. 98 रकबा 41.14 बीघा मौजा लूणसरा तहसील जायल मे संयुक्त खातेदारी दर्ज है तथा अवस्थित है। अधिवक्ता वादीगण ने निवेदन किया कि वंशावली में दर्शाये अनुसार वादीगण के पिता स्व. रामचन्द्र एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के पिता स्व. मोहनराम द्वारा करीब 40 वर्ष पूर्व अलग–2 बंटवारा कर खेतो पर अपने–2 हिस्से अनुसार वादपत्र के पैरा संख्या 2 के अनुसार काबिज हो गये तथा काश्त करना शुरू कर दिया एवं अपनी अपनी सींवे कायम कर ली तथा मुतदाविया खेताय पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 10 सुविधानुसार कास्त करते रहे है।

अधिवक्ता वादीगण ने निवेदन किया कि चूंकि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 6 से 10 मजदूरी के लिए सुरतगढ़ जिला गंगानगर में निवास करते है तथा कास्त के समय कुछ लोग यहा रहकर कास्त करते है तथा कई बार जमीन का बांटे मे कास्त के लिए अन्य लोगों को देते रहते है। वादग्रस्त खेताय का पक्षकारान द्वारा अपने–2 हिस्से के अनुसार कास्त करने के उपरान्त भी राजस्व रिकॉर्ड में अलग–2 खातेदारी दर्ज नही होनें, सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलने एवं के0सी0सी0, टांका निर्माण की सुविधा नहीं मिलने के कारण वाद बाबत् बंटवारा खेताय वादपत्र के पैरा संख्या 2 के अनुसार पृथक–पृथक करने एवं माफिक बंटवारा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद एवं घोषणा खातेदारी में दर्ज करने की इस्तदुआ वादीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता वाद पत्र में की गई है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण 1 से 5 के सम्मन तामिल सुदा प्राप्त होने पर भी गैर हाजिर रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादीगण संख्या 6 से 10 की ओर से अधिवक्ता श्री अम्बालाल पाराशर ने वकालात नामा व ईकबालिया जवाब दावा पेश किया प्रतिवादी संख्या 11 वाद पत्र में परफोर्मा पक्षकार है। दौराने वाद वादी संख्या 1 सीताराम के फौत हो जाने पर प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सी.पी.सी. पेश किया जो प्रतिवादी अधिवक्ता की अनापत्ति पर स्वीकार किया जाकर वादीगण संख्या 1/1 से 1/4 का नाम वाद पत्र में जरिये संशोधित शिर्षक दर्ज किया गया। पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही तथा प्रतिवादी संख्या 6 से 10 का इकबालिया जबाव पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक विन्दू (तनकीयात) कायम की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner

साक्ष्यवादी में दिनांक 14.07.2020 को पत्रावली में शपथ पत्र गवाह किस्तुरी, भंवरलाल, शिवकुमार व मुकेश के प्रस्तुत किये गये जिस पर गवाह के बयान कलमबद्ध किये जाकर शामिल पत्रावली है। दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर नकल ग्राम लूणसरा जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 खाता संख्या 289/225 पदर्श-1, साथ ही नत्थुराम का मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति, व नकल जमाबंदी सम्वत् 2063-66 खाता संख्या 223/197 की फोटो प्रति की पेश की। अधिवक्ता वादीगण द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही है एवं प्रतिवादी संख्या 6 से 10 द्वारा पत्रावली में इकबालिया जवाब में वाद पत्र को स्वीकार किया गया है। प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व प्रतिवादीगण संख्या 6 से 10 के द्वारा प्रस्तुत इकबालिया जबाव पर मनन किया गया। प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के विरूद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की गई है साथ ही प्रतिवादी संख्या 11 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है, बंटवाड़े के दावे में पक्षकारो के हिस्सों का संलग्न जमाबंदी अनुसार बंट किया जाता है एवं हस्तगत प्रकरण में समस्त पक्षकारान वाद में संयोजित होने पर न्यायिक दृष्टिकोण को मध्य नजर रखते हुये वादीगण का वाद आंशिक तौर पर स्वीकार जाकर दिनांक 28.07.2020 को प्राथमिक डिक्री किया गया।

प्रकरण हाजा में प्राथमिक डिक्री आदेश की पालना तहसीलदार जायल द्वारा की गई तथा पक्षकारान के मध्य किया गया मुतदाविया खेतायों का बंटवारा प्रस्ताव जरिये पत्रांक : भू. अ./2020/2647 दिनांक 08.09.2020 को प्राप्त हुआ। जो शामिल पत्रावली किया गया। प्राथमिक डिक्री (बंटवारा प्रस्ताव) विहित है कि प्रकरण में प्राथमिक डिक्री तैयार किये जाने से पूर्व मौके पर उपस्थिति हेतु संबंधित पक्षकारान को जरिये नोटिस सूचित किया गया। पक्षकारान मे से प्रतिवादी संख्या 1 व 5 उपस्थित हुये परन्तु बंटवारा प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने से इन्कार किया। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 6 भी उपस्थित हुआ जिसने बंटवारा प्रस्ताव पर " **एक्स** " स्थान पर अपने हस्ताक्षर अंकित किये। तहसीलदार जायल से प्राप्त प्राथमिक डिक्री (बंटवारा प्रस्ताव) प्राप्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 से 5 अनुपस्थित रहे अतः इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। प्राथमिक डिक्री (बंटवारा प्रस्ताव) पर वकील वादी को सुना गया। वकील वादी ने तहसीलदार जायल से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव पर किसी प्रकार की आपत्ति जाहिर नहीं की तथा पक्षकारान के मध्य में मुतदाविया खेतायो का माफिक बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 08.09.2020 में वर्णनानुसार विभाजन प्रस्ताव (पी.डी. रिपोर्ट) के अनुसार अन्तिम डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की।

अतः प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को मध्यनजर रखते हुये तथा वकील वादी एवं राजपैरोकार द्वारा प्राथमिक डिक्री प्रस्ताव पर सहमति जाहिर करने तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री किये जाने के निवेदन पर दिनांक 08.09.2020 में वर्णन अनुसार ग्राम लूणसरा तहसील जायल मुतदाविया खेताय खसरा नं. 95, 98 के संबंध में प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव (प्राथमिक डिक्री) अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाता है तथा अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

सहायक कलक्टर
एस. डी. ओ.) जायल (नागौर

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद 178/2016
सीताराम वगैरह बनाम मांगीलाल वगैरह

— : : आदेश : —

यत् वादीगण द्वारा अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में ग्राम लूणसरा तहसील जायल के खसरा नं. 95 व 98 की भूमि के संबंध में प्रस्तुत वाद पत्र में पारीत प्राथमिक डिक्री आदेश दिनांक 28.07.2020 के परिपेक्ष्य में तहसीलदार जायल से प्राप्त प्राथमिक डिक्री पालना रिपोर्ट दिनांक 08.09.2020 के अनुसार स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है।

1. ग्राम लूणसरा तहसील जायल के खसरा नं. 98 की भूमि में से रकबा 3.8850 हैक्टेयर उत्तरी भाग प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदार में घोषित किया जाता है।
2. ग्राम लूणसरा तहसील जायल के खसरा नं. 98 की भूमि में से 2.8651 हैक्टैयर भूमि दक्षिणी भाग, व खसरा नं. 95 रकबा 1.0198 हैक्टैयर भूमि वादी संख्या 1 से 3 व प्रतिवादी संख्या 6 से 10 के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में घोषित कि जाता है।
3. तहसीलदार जायल से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 08.09.2020 डिक्री आदेश का भाग रहेगा।

माफिक आदेश अन्तिमक डिक्री पर्चा तैयार हो। तद्नुसार तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक **16.09.2020** को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

16/09/2020

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

सहायक कलक्टर
एस. डी. ओ. जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद 178/2016
सीताराम वगैरह बनाम मांगीलाल वगैरह

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

वादीगण –

1. सीताराम पुत्र स्व. रामचन्द्र
   1/1– किस्तुरी देवी पत्नि सीताराम
   1/2– मुकेश पुत्र स्व. सीताराम
   1/3– देवेन्द्र कुमार पुत्र सीताराम
   1/4– रेखा पुत्री स्व. सीताराम
2. राजकुमार पुत्र स्व. नत्थुराम
3. सरस्वती पत्नी स्व. नत्थुराम
   समस्त जातियान जाट निवासीगण – लूणसरा तहसील जायल
   जिला–नागौर हाल निवासी सुरतगढ़ जिला गंगानर

बनाम

1. मांगीलाल पुत्र स्व. मोहनराम
2. हेमाराम पुत्र स्व मोहनराम
3. हेमसुख उर्फ हरसुख पुत्र स्व. मोहनराम
4. शैतानराम पुत्र स्व. मोहनराम
5. प्रहलाद पुत्र स्व. मोहनराम
   तमाल जाति जाट निवासीगण लूणसरा तहसील जायल (नागौर)
6. भंवरलाल पुत्र स्व. नत्थुराम
7. शिवकुमार पुत्र स्व. नत्थुराम
8. धर्मेन्द्र पुत्र स्व. नत्थुराम
9. सरिता पुत्री स्व. नत्थुराम
10. पुष्पादेवी पत्नी स्व.रामचन्द्र
    जातियान तमाम जाट निवासीगण लूणसरा तहसील जायल (नागौर)
    हाल निवासीगण–सुरतगढ़ (गंगानगर)
11. सरकार जरिये तहसीलदार जायल

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 आर.टी. एक्ट

राजस्व वाद संख्या :– 178/2016 दिनांक 16.09.2020

16/09/2020
सहायक कलक्टर
एस. डी. ओ.) जायल (नागौर

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद 178/2016
सीताराम वगैरह बनाम मांगीलाल वगैरह

– अन्तिम डिक्री आदेश –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री मुन्नीलाल कड़वासरा अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 6 से 10 हाजरी श्री अम्बालाल पाराशर प्रतिवादी संख्या 11 सरकारी पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि –

1. ग्राम लूणसरा तहसील जायल के खसरा नं. 98 की भूमि में से रकबा 3.8850 हैक्टेयर उत्तरी भाग प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदार में घोषित किया जाता है।
2. ग्राम लूणसरा तहसील जायल के खसरा नं. 98 की भूमि में से 2.8651 हैक्टैयर भूमि दक्षिणी भाग, व खसरा नं. 95 रकबा 1.0198 हैक्टैयर भूमि वादी संख्या 1 से 3 व प्रतिवादी संख्या 6 से 10 के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में घोषित किा जाता है।
3. तहसीलदार जायल से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 08.09.2020 डिक्री आदेश का भाग रहेगा।

16/09/2020
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक–की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **16.09.2020** को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमि''नर			फीस कमि''नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट : इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

16/09/2020
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner